छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी–भवन, नवा रायपुर, अटलनगर

क्रमांक एफ 20–39 / 2020 / 11 / 6 नवा रायपुर, दिनांक 23.03.2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़, जिला– ....

2. समस्त मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक संस्थानों में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत राज्य के औद्योगिक / व्यापारिक संस्थानों द्वारा विषयांकित संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से निर्देश दिये जाने के आग्रह किये जा रहे है। अतः उपरोक्त संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत औद्योगिक / व्यापारिक संस्थानों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1– COVID-19 संक्रमण की गंभीरता तथा देश एवं प्रदेश में इस संक्रमण विस्तार के खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में स्थापित समस्त औद्योगिक / व्यापारिक इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि केवल वह इकाईयों जो भारत शासन द्वारा आवश्यक सेवाओं की सूची में अनुमत हो, यथा– खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा से संबंधित आवश्यक दवाएं एवं उपकरण से संबंधित औद्योगिक संस्थानों / सेवाओं का प्रचालन किये जावे। शेष औद्योगिक संस्थानों (उन संस्थानों को छोड़कर जिनमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो यथा– ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया से लौह निर्माण) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उत्पादन एवं संचालन बंद करने के निर्देश दिये जाते है।

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि ऐसे संस्थानों में नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों / अधिकारियों को देय वेतन / भत्ते समय पर प्रदाय किया जावे। यह भी

mm2

Scanned by TapScanner

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के विषय में भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशो का व्यापक प्रचार–प्रसार नियमित रूप से किया जावे।

2– अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली तथा अनवरत प्रकृति के उत्पादन वाली इकाईयों / संस्थाओं यह निर्देशित किया जाता है कि :–

2.1– न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करें तथा कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी तथा इन इकाईयों के संपर्क में आने वाले प्रवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर जिला कलेक्टर से पूर्वानुमति के पश्चात् इकाई का संचालन किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंध / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से पूर्वानुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस विषय में इकाई के द्वारा यह ध्यान रखा जावें कि संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे।

2.2– उपरोक्त संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जावे कि प्रबंधन द्वारा समूह में आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं हो। यह भी निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सतत् निगरानी रखी जावे। कोई भी व्यक्ति संक्रमित न हो, इसका समुचित ध्यान रखा जावे। इस प्रकार के संक्रमण के रोकथाम की समुचित व्यवस्था एवं निर्देश पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की होगी।

2.3– यह स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवा के परिवहन में कोई रोक नहीं है, किन्तु यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी औद्योगिक / व्यापारिक संस्थानों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों का यात्री परिवहन में उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। किसी भी प्रकरण में दुरूपयोग की स्थिति में संस्थान के प्रबंधन के विरूद्ध सुसंगत कानूनों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

Letters\DoI_Letter

Scanned by TapScanner

2.4— यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिसर में कम से कम कर्मचारियों/अधिकारियों का आवागमन सुनिश्चित करने हेतु अधिकाधिक कार्य Work from home पद्धति से संपादित करने का प्रयास हों। साथ ही ऐसे नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को देय वेतन/भत्ते समय पर प्रदाय किया जावे।

2.5— कोशिश यह हो कि औद्योगिक संस्थानों में आवागमन न्यूनतम हो, जिससे संक्रमण के फैलने की संभावना शून्य हो।

उपरोक्त मार्गदर्शन मात्र इस उद्देश्य से प्रसारित किये जा रहे है, जिससे देश एवं प्रदेश में उपरोक्त महामारी के दौरान कोई आवश्यकता पड़ने पर जन सामान्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हों। यह अपेक्षा की जाती है कि सर्व संबंधित इस संकट की घड़ी में देश एवं प्रदेश के हित में अपना सहयोग बनाये रखेंगें।

कृपया अपने जिले में स्थित समस्त औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों/संगठनों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए, पालन सुनिश्चित करावें।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्रमांक एफ 20—39/2020/11/6 नवा रायपुर, दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपि :—

1— अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़

2— विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,

3— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

4— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

5— उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी—भवन, नवा रायपुर

6— समस्त औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिनिधि संगठन, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Letters\DoI_Letter

Scanned by TapScanner